

# Order Sheet [Contd]

Case No 66/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14-02-2017	<p>आवेदक/आरोपी मनीष की ओर से श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री एम.एस.यादव द्वारा तृतीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि उसके विरुद्ध झूठा अपराध कायम कर उसे बंदी बना लिया है। जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक करीब दो साल से जेल में निरुद्ध है। प्रकरण करीब सभी साक्ष्य हो चुकी है और आवेदक का किसी भी साक्ष्य के द्वारा नाम नहीं लिया गया है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके फरार होने तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.03.2014 को रात के 11 बजे जब फरियादी राजीव अपनी पत्नी को झाड़फूक कराने के लिए ले जा रहा था तभी मालनपुर में होटलाईन फेक्ट्री के पीछे संदिग्ध अवस्था में तीन लोगों द्वारा जान से मारने के आशय से उसे पकड़कर कट्टा मारा जो गोली मारकर होटलाईन फेक्ट्री के अंदर घुस गए।</p> <p>उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मालनपुर में धारा 307/34 भा.द.वि0 का अपराध कायम किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई, विवेचना के दौरान आरोपी के घटना में संलग्न होने के संबंध में तथ्य का पता चलने पर आरोपी जो कि अन्य प्रकरण में गिरफ्तार किये गए थे उनकी फार्मल गिरफ्तारी की गई तथा उनकी सिनाख्ती की कार्यवाही कार्यपालन मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई जो कि फरियादी के द्वारा आरोपीगण की सिनाख्ती की गई है।</p>	

आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के जिनमें कि फरियादी के कथन भी हो चुके हैं। ऐसी दशा में आरोपी की जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आवेदक अधिवक्ता ने अपने आवेदनपत्र एवं आरोपी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में आरोपी की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत आवेदनपत्र होना बताया है, किन्तु उनके द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्ववर्ती जमानत आवेदनपत्र कब एवं किस न्यायालय के द्वारा और किन आधारों पर निराकृत किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी जो कि हरेन्द्र राणा गिरोह का सदस्य होना बताया गया है, उसके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 09 प्रकरण लंबित होने बताए गए हैं, जो कि इस संबंध में जेल अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत लंबित प्रकरणों की सूची के संबंध में विवरण से स्पष्ट होता है। यद्यपि प्रकरण में 08 अभियोजन साक्षियों के कथन जिनमें कि फरियादी रामबीर भी शामिल है का कथन हो चुका है, किन्तु इस आधार पर कि फरियादी व अन्य साक्षियों के कथन हो चुके हैं, आरोपी को जमानत व छोड़े जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

विचारोपरांत उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए एवं आरोपी के विरुद्ध लंबित प्रकरणों और उसका लम्बा आपराधिक रिकार्ड देखते हुए उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। उसकी ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा10फौ0 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 07.03.2017 को पेश हो।

(डी0सी0थपलियाल)  
ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)